संख्या-113 /2025/1282 /26-3-2025-1572678

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण,
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 मई, 2025

विषय:-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-64/2023/2348/26-3-2023-1572678 दिनांक 28-08-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ करते हुए क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-64/2023/2348/26-3-2023-1572678 दिनांक 28-08-2023 को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदकों की पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें :-

(i) कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।

(ii) कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।

(iii) आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 3.00 लाख तक होगी।

(iv) सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

(v) कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद/तलाक हो गया हो एवं पुनर्विवाह किया जाना हो।

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

abhi

(2)- कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत संस्थाएं :-

(i) नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम)

(ii) क्षेत्र पंचायत

(iii) जिला पंचायत

(iv) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जायेगा।

(v) कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विवाह कार्यक्रम समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा ही विवाह कार्यक्रम के लिये स्थल चयन, टेन्ट की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पेयजल व्यवस्था, भोजन/नाश्ता की व्यवस्था, विवाह संस्कार, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था की जायेगी। समिति विवाह कार्यक्रम के लिये शुभ लग्नानुसार तिथियों का निर्धारण करेगी और निर्धारित तिथियों व कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी। निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शुभ लग्नानुसार समारोह के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेण्डर व एस.ओ.पी. जारी किया जाएगा।

(vi) समिति द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन समारोह में सम्मिलित होने वाले युगलों को आशीर्वचन देने हेतु मा0 जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी यथासम्भव जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको समारोह में आमंत्रित करेंगे।

(3)- योजना हेतु व्यय-भार:-

(i) कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया-60,000 /-(रू० साठ हजार मात्र) कन्या के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरित की जायेगी।

(ii) धनराशि रूपया 25,000/-(रू० पच्चीस हजार मात्र) मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री यथा- **1-** 05 साड़ी ब्लाउज सहित, प्रत्येक 5.50 मीटर (01-ब्राइडल साड़ी/लहंगा, 02-कढ़ाईयुक्त साड़ी, 02-प्रिन्टेड साड़ी सर्वोत्तम गुणवत्ता की) **2-** 05 पेटीकोट (साड़ी से मैचिंग, सिला हुआ) **3-** चुनरी-2.25 मी0 (कढ़ाईयुक्त) **4-** पैन्ट का कपड़ा (1.20 मीटर) (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **5-** शर्ट का कपड़ा (2.25 मी0) (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **6-** फेंटा/गमछा (2.25 मी0)। **7-** चाँदी की पायल (एक जोड़ी) 65 टंच-30 ग्राम **8-** चाँदी की बिछिया (एक जोड़ी) 65 टंच-10 ग्राम **नोट:-** प्रत्येक वधू को चाँदी की पायल व बिछिया के पैकेट के साथ निर्माता द्वारा प्रदत्त मात्रा व शुद्धता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। **9-** डिनर सेट-(स्टेनलेस स्टील 8 किलोग्राम पैकिंग के अतिरिक्त) **10-** कुकर-5 लीटर (आई0एस0आई0मार्क) **11-** कढ़ाही-एल्यूमीनियम-5 कि0ग्रा0 **12-** ट्रॉली बैग (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) 47 (B)×28(D)×66(H) से0मी0 **13-** वैनिटी किट-01 नग (फाइबर बॉक्स में) **14-** दीवार घड़ी- (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **15-** सीलिंग फैन-01 नग (1200 एम0एम0 ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **16-** कूल केज-10 लीटर (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **17-** आयरन प्रेस-01 नग (ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त) **18-** डबल बेड चादर-01 (228.6×254 सेमी0), 02 पिलो कवर (तकिया के माप का) सहित (उत्तम गुणवत्तायुक्त) **19-** कम्बल-02 सिंगल बेड का (डबल लेयर) प्रत्येक-160×230 से0मी0 (उत्तम गुणवत्तायुक्त) **20-** गद्दा/मैट्रेस-02 नग सिंगल बेड (PU फोम)-कवर के साथ (182.88 से0मी0×91.44से0मी0) मोटाई-7.62 से0मी0 प्रत्येक **21-** तकिया-02 नग (45.72×68.58 से0मी0 प्रत्येक) (उत्तम गुणवत्तायुक्त) **22-** सिन्होरा **23-** चूड़ी (लाल काँच की)- 02 दर्जन **24-** कंगन-04 नग (लाख पदार्थ का)।

(iii) कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रूपया-15,000/- प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा।

(iv) एक जोड़े पर कुल रुपया-100,000/- (रू० एक लाख मात्र) की धनराशि का व्ययभार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होने पर सम्पन्न कराया जाएगा।

(v) विवाह उपहार के लिए आवश्यक सामग्री की क्रय/आपूर्ति हेतु संस्थाओं/वेण्डर का इम्पैनलमेन्ट जेम-पोर्टल/ई-टेण्डर से करने के उपरान्त यदि उपहार सामग्री हेतु नियत धनराशि 25 हजार रूपये से कम में आपूर्ति होती है, तो अन्तर की धनराशि से प्रस्तर-5 में अंकित समिति द्वारा अतिरिक्त उपहार सामग्री क्रय कर कन्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित विवाह समिति स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के संभ्रात व्यक्तियों से भी दान स्वरूप धनराशि प्राप्त कर सकती हैं, जिसका विवरण सम्बन्धित नगर निकाय/विकास खण्ड/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा।

(vii) निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जायेगा। जनपद स्तर से जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि पात्र लाभार्थियों व नियमानुसार सामग्री/सेवा की आपूर्ति हेतु चयनित फर्मों/संस्थाओं को अन्तरित की जायेगी।

(viii)प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जनपद स्तर पर वैवाहिक उपहार सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों/संस्थाओं का जेम पोर्टल/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से इम्पैनलमेन्ट किया जाएगा। इस कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर भी नियमानुसार इच्छुक फर्मों/संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट करा लिया जाय। यदि जनपद स्तर पर इम्पैनलमेन्ट नहीं होता है, तो निदेशालय स्तर पर इम्पैनल्ड फर्मों/संस्थाओं से भी उपहार सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है, जिसका भुगतान जनपद स्तर से कराया जाएगा।

(4)- योजना हेतु लक्ष्य निर्धारण:-

निदेशालय द्वारा योजना के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या तथा जनपद में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर लाभार्थियों का औसत लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जायेगा। आवंटित लक्ष्य के 50 प्रतिशत की राशि अप्रैल माह में जनपद को अवमुक्त कर दी जायेगी। यदि किसी जनपद में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा कारण सहित तथ्यों का उल्लेख करते हुए लक्ष्य को कम/समर्पित करने का अनुरोध किया जाता है तो निदेशालय द्वारा विचारोपरांत उक्त जनपद के समर्पित लक्ष्य व धनराशि को किसी अन्य जनपद को उसकी आवश्यकतानुसार पुन: आवंटित किया जा सकेगा, परन्तु उक्त अवशेष लक्ष्य व धनराशि को वित्तीय वर्ष के 06 माह के पूर्व आवंटित नहीं किया जायेगा। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा विकास खण्ड व नगरीय निकायों हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा।

(5)- आयोजन हेतु सामग्री/सेवाओं का क्रय:-

सामूहिक विवाह योजना में युगलों को दी जाने वाली उपहार सामग्री हेतु फर्मों/संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट जनपद स्तर पर गठित समिति, प्रस्तर-3 में निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता के आधार पर, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए करेगी। उक्त प्रक्रिया में फर्मों/संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट ई-टेण्डरिंग/जेम-पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाला व्यय रू0 15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) यथा:- **1-** वधू को उसके विवाह के पश्चात एलबम सहित 05 फोटोग्राफ उपलब्ध कराना। (विवाह हेतु- जयमाल, फेरे, सिन्दूरदान, कन्यादान, परिवार के साथ व सेल्फी प्वाइंट के साथ, निकाह हेतु- परिवार के साथ, वर-वधू की संयुक्त फोटो हस्ताक्षर करते समय, विदाई के समय, सेल्फी प्वाइंट के साथ) नोट:-इस कार्य हेतु 25 जोड़ों पर एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की जाएगी। **2-** विवाह हेतु 02 नग गुलाब के फूल की जयमाल, निकाह हेतु सेहरा- बेला/चमेली के फूलों की। **3-** पगड़ी/साफा (वर हेतु) **4-** विवाह सम्पन्न कराने हेतु पुजारी व मौलवी के लिए दक्षिणा/पारिश्रमिक। **5-** 100 या अधिक जोड़ों के विवाह समारोह

abhi

हेतु जर्मन हैंगर की व्यवस्था। (समारोह में 100 या अधिक जोड़े होने पर कार्यक्रम में जिलाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी) 100 जोड़े से कम संख्या होने पर विवाह समारोह शादी मण्डप/मैरिज हॉल में कराया जाएगा। 6- सजावट (मंच व पण्डाल की भव्य व आकर्षक सजावट) 7- कार्यक्रम स्थल पर बड़ी स्क्रीन वाली दो से चार एल0ई0डी0 8- कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर फूलों की सजावटयुक्त भव्य व आकर्षक प्रवेश द्वार, जिस पर कार्यक्रम से सम्बन्धित बैनर भी लगाया जायेगा। 9- ध्वनि विस्तारक/साउण्ड बॉक्स/माइक की व्यवस्था 10- मंच हेतु बैनर, जिस पर योजना का नाम, प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री, मा0 विभागीय मंत्री/जनपद के प्रभारी मंत्री की फोटोग्राफ व गणमान्य अतिथियों के नाम अंकित हों। 11- वर-वधू व उनके पक्ष के 10-10 व्यक्तियों के नाश्ते हेतु व्यवस्था। (केला-02, समोसा-02, बर्फी-01 पीस, चिप्स-50 ग्राम, पानी की बोतल-500 मि0ली0, कोल्ड ड्रिंक की बोतल 250 मि0ली0, (शरबत/शिकंजी/चाय/कॉफी- मौसम के अनुसार) नोटः-कार्यक्रम में युगल की उपस्थिति के समय ही उनको 20 पैकेट नाश्ते के उपलब्ध करा दिये जायेंगे व पेय पदार्थ स्टाल (शरबत/शिकंजी/चाय/कॉफी- मौसम के अनुसार) लगाकर उपलब्ध कराए जाएं। 12- वर-वधू व उनके पक्ष के 10-10 व्यक्तियों के भोजन हेतु व्यवस्था। (दाल, चावल, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, सूखी सब्जी, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, सलाद, रसगुल्ला/खीर/हलवा, चाऊमीन आदि) 13- वर-वधू पक्ष के लिए अलग-अलग 05 कि0ग्रा0 बूँदी का लड्डू जिसे बाँस की बुनी हुई हैण्डलयुक्त टोकरी में पीले रंग के पारदर्शी रैपर से ढककर उपलब्ध कराया जायेगा। 14- वर-वधू पक्ष के लिए अलग-अलग ड्राइफ्रूट्स की कवर्ड टोकरी (जिसमें से प्रत्येक में 500 ग्राम बादाम, 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम मखाना, 500 ग्राम किशमिश व एक सूखा नारियल रहेगा) 15- सम्पूर्ण कार्यक्रम की प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की वीडियोग्राफी की व्यवस्था। 16- कार्यक्रम स्थल पर सड़क के किनारे एक बड़ी होर्डिंग की स्थापना। (जिसमें योजना की पात्रता व आवेदन करने की व्यवस्था आदि का उल्लेख हो) 17- विवाह प्रमाण पत्र का हार्डपेपर पर रंगीन मुद्रण व लैमिनेशन। 18- अन्य प्रकीर्ण व्यवस्थाओं हेतु यथा विशिष्ट अतिथियों हेतु जलपान/भोजन व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये जिलाधिकारी प्रति वर्ष जेम-पोर्टल/ई-टेण्डर द्वारा अपने जिले के लिए दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण शासकीय नियमों में दी गयी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इस हेतु विवाह कार्यक्रम समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः-

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त गठित समिति में 02 महिला अधिकारी सम्मिलित होंगी। उपरोक्त पदों के सापेक्ष महिला अधिकारी न होने की स्थिति में जिलाधिकारी, जिले की महिला अधिकारियों को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे, जो कन्या के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

यदि किसी जनपद में सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मानक, मात्रा व शुद्धता के अनुसार नहीं की जाती है तो सम्बन्धित फर्म/संस्था का इम्पैनलमेन्ट निरस्त करते हुए उसको काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने का प्रस्ताव जनपद द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

abhi

(6)- धनराशि का प्राविधान:-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार अनुदान संख्या-80 के सुसंगत लेखाशीर्षक में आवश्यक धनराशि का आय-व्ययक में प्राविधान किया जायेगा।

(7)- सामूहिक विवाह हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

(i) योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया की जा रही है।

(ii) आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है।

(iii) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित जन-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन-सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा।

(iv) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट (Submit) करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।

(v) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा।

(vi) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदिका, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) व आधार से सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा तथा वर का नाम, आयु, व माता-पिता का नाम व आधार से सम्बन्धित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। पोर्टल के माध्यम से वर-वधू के आधार संख्या के माध्यम से उनका डेमोग्राफिक ऑथेन्टिकेशन किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना होगा। योजनान्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है, अतः विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में उक्त का विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आनलाइन अपलोड करना होगा। आवेदिका को सी०बी०एस० बैंक खाते के पासबुक (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(vii) लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं तथा जिन्हें आई०एफ०एस०सी० कोड प्रदत्त है तथा पी०एफ०एम०एस० पर पंजीकृत हैं ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।

(viii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरांत संबंधित सेवा-प्रदाता एजेन्सी के इस कार्य हेतु नामित कार्मिक द्वारा आवेदक को भरी गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी पढ़कर सुनाई जायेगी एवं

abhi

उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही उसके हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा के साथ आवेदन पत्र को सबमिट किया जायेगा। आवेदिका ऑनलाइन आवेदन की प्रति प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख सकती है।

(ix) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय कन्या व वर को बिन्दु-7 में उल्लिखित आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र/आय से सम्बन्धित प्रपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(x) लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजनान्तर्गत पात्र आवेदिकाओं को प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि उसके सत्यापन का कार्य लम्बित है।

(8)- जिला समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के दायित्व:-

(i) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन व डी0एस0सी0 से प्रत्येक कार्य दिवस में योजनान्तर्गत अपलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर उनका प्रिन्ट लिया जायेगा एवं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे विवरण का मिलान आवेदन पत्र में संलग्न तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र 02 दिवस के अन्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेब साईट- https://bor.up.nic.in से किया जायेगा। मिलान करने पर विवरण सही पाये जाने के उपरान्त विवाह की तिथि तथा उक्त तिथि के समय आवेदक की आयु से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों, विधवा/परित्यक्ता होने की पुष्टि व बैंक विवरण की पुष्टि सम्बन्धी कार्यवाही हेतु ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई०डी० पर तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्रों को सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के लॉगिन आई०डी० पर 02 दिवस के अंदर अनिवार्यतः अग्रसारित किया जायेगा।

(ii) अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से 03 दिवस के भीतर भौतिक सत्यापन में इस बिन्दु की जाँच की जायेगी कि आवेदिका द्वारा पूर्व में विवाह नहीं किया गया है एवं उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। सत्यापन में आवेदिका के बैंक खाते के विवरण की पुष्टि भी की जायेगी। आवेदिका के विधवा/परित्यक्ता होने की दशा में उसकी भी पुष्टि की जायेगी। विवरण की पुष्टि हो जाने एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर आवेदकों के आवेदन पत्रों की संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही अपने लॉगिन आई.डी./पासवर्ड से 02 दिवस के अन्दर ऑनलाइन सर्वर पर डिजिटल सिग्नेचर से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी जिला समाज कल्याण अधिकारी को मूलरूप में वापस की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी, स०क०/ ग्राम विकास अधिकारी, स०क० अथवा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापन का कार्य कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में सत्यापन का कार्य समाज कल्याण सुपरवाइजर अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिाधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड/नगर क्षेत्र के 10 प्रतिशत आवेदन पत्रों का सत्यापन, राजस्व विभाग के कार्मिकों से भी कराया जाएगा।

(iii) समयबद्ध कार्यवाही हेतु 10 दिवस के पश्चात लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी को अनुस्मारक भेजा जायेगा। तत्पश्चात कोई कार्यवाही न होने की स्थिति में 07 दिवस के उपरान्त पुनः द्वितीय अनुस्मारक भेजा जायेगा। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति अथवा निरस्तीकरण की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण कराये जाने हेतु

abhi

जिलाधिकारी को ऐसे प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की जायेगी तथा आवश्यक अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(iv) योजनान्तर्गत समयबद्ध ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित अधिकारियों से कराकर उनके सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

(v) खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त के माध्यम से उपरोक्तानुसार ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त उपरोक्तानुसार डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन अग्रसारित आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था होगी कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर इवेन्ट जनरेट किया जायेगा। इवेन्ट जेनरेट करने के पश्चात् सामूहिक विवाह के आयोजन का स्थल, तिथि व लाभार्थियों की सूची उपलब्ध हो जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त कार्य शुभ लग्न व मुहूर्त के अनुसार 07 से 15 दिवस के अन्दर कराया जायेगा, ताकि आयोजन सुचारू पूर्वक सम्पन्न हो सके। तत्सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी योजनान्तर्गत गठित जनपद स्तरीय समिति की बैठक कर हार्ड कॉपी पर समारोह के आयोजन (इवेन्ट) की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृति से सम्बन्धित मामलों में पात्र आवेदकों के आवेदन-पत्रों को ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से पोर्टल पर प्रमाणित करना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार उनके द्वारा जो आवेदक अपात्र पाये जायेंगे, उनका भी विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करते हुए पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से कारण सहित रिजेक्ट करना सनुश्चित करेंगे।

(vi) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों में से विधवा/परित्यक्ता के विवाह के मामलों में वरीयता दिये जाने के साथ-साथ प्रथम आगत प्रथम पावत के अनुसार सहायता स्वीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अभ्यर्थियों के प्रपत्रों के सत्यापन हेतु नामित सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही प्राथमिकता पर किया जाना अनिवार्य है।

(vii) लाभार्थियों की वैवाहिक स्थिति के भौतिक सत्यापन हेतु योजना के पोर्टल पर प्रारूप उपलब्ध है, जिस पर अनिवार्य रूप से सत्यापन कराकर उसकी रिपोर्ट कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ रक्षित की जाएगी।

(viii) सामूहिक विवाह के आयोजन (इवेन्ट) की स्वीकृति तथा समारोह के आयोजन के पश्चात सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान आवेदिका (कन्या) के बैंक खाते में एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। कन्या के बैंक खाते में धनराशि का भुगतान व चयनित फर्मों/संस्थाओं द्वारा आपूर्तित वैवाहिक उपहार सामग्री का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समस्त धनराशियों के भुगतान के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। लाभार्थियों को भुगतानित धनराशि के अनुपात में ही उपहार सामग्री व आयोजन व्यवस्था से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान किया जायेगा। धनराशि का भुगतान ई-कुबेर कोषागार प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा।

(9)- धनराशि भुगतान की प्रक्रिया:-

(i) योजनान्तर्गत प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप व लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जहाँ जनसामान्य सुगमता पूर्वक पहुँच सके।

abhi

(ii) सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थलों पर किया जायेगा।

(iii) वैवाहिक उपहार सामग्री के वितरण हेतु विकास खण्डवार/नगर निकायवार काउन्टर की व्यवस्था आयोजन स्थल पर करायी जायेगी तथा प्रत्येक काउन्टर पर 02 कर्मचारियों को नियुक्त करते हुए पूर्व से मुद्रित उपहार सामग्री की सूची पर कन्याओं को उपहार प्राप्त कराने के पश्चात् प्राप्ति पर उनके हस्ताक्षर करा लिये जायें।

(iv) धनराशि भुगतान के पूर्व समाज कल्याण विभाग के विकास खण्ड/तहसील स्तर पर तैनात कर्मचारियों जो कि समारोह में उपस्थित थे, से यह प्रमाण-पत्र ले लिया जाये कि सामूहिक विवाह हेतु उपलब्ध करायी गयी उपहार सामग्री निदेशालय/जनपदीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श (सैम्पल) के अनुरूप है तथा उपहार सामग्री सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित समस्त विवाहित युगलों को प्राप्त हो गयी है। आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है एवं आवेदक तथा उनके परिजन विवाह समारोह के आयोजन से संतुष्ट हैं।

(v) उपहार सामग्री व आयोजन की धनराशि को फर्म/वेण्डर को भुगतान के पूर्व पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(vi) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत पात्र आवेदकों के आवेदन पत्रों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किया जा सकेगा, परन्तु उनको समारोह में सम्मिलित करने के पूर्व उनका पुनः सत्यापन कराकर विवाह न होने की पुष्टि करा ली जाएगी।

(vii) यदि किसी विशेष कारणवश विगत वित्तीय वर्षों की धनराशि व्यय नहीं हो पायी परन्तु सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया है तो जिलाधिकारी द्वारा उक्त विशेष कारण का उल्लेख करते हुए निदेशालय से देय धनराशि की मांग की जायेगी, जिस पर निदेशक द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(10)- जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति:-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त/अपर मुख्य अधिकारी (जि.प.), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य
समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य
समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	सदस्य
उप/सहायक आयुक्त श्रम/श्रम विभाग के जनपद में तैनात अधिकारी	सदस्य

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार जनपद स्तरीय समिति में अन्य अधिकारियों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं।

समिति में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी:-

(i) जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

abh

(ii) सदस्य सचिव द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक में सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि, ऑनलाइन कुल प्राप्त आवेदन पत्र, भुगतान की गयी धनराशि, लाभार्थियों को सहायता स्वीकृति की स्थिति, सत्यापन की स्थिति तथा ऑनलाइन भरे गये आवेदन-पत्रों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों की प्रगति आदि का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(11)-विलम्ब की स्थिति में वांछित कार्यवाही:-

ऐसे सभी प्रकरण जहाँ ऑनलाइन अग्रसारित आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो जिलाधिकारी जनपद स्तरीय अधिकारी के माध्यम से उन प्रकरणों की 15 दिनों के अंदर जांच कराकर अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। विलंब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी सहित संबंधित नगर निकाय/विकास खण्ड में इस प्रयोजनार्थ नामित नोडल अधिकारी के विरूद्ध अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय।

(12)- सामूहिक विवाह अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तरीय समिति:-

सामूहिक विवाह अनुदान की धनराशि की स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

(i) जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
(ii) मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष
(iii) प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय-	सदस्य
(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य सचिव द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची सुसंगत सूचनाओं सहित तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपलब्ध बजट के सापेक्ष सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित पात्र युगलों की सूची पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही करते हुए धनराशि का भुगतान आवेदिका के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

(13)- अभिलेखों का रख-रखाव:-

इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्न अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) पोर्टल से डाउनलोडेड आवेदन पत्र प्राप्ति पंजी एवं अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त आवेदन पंजी।

(ii) जिला स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंजी एवं पत्रावली।

(ii) भुगतान की गयी धनराशि के विवरण से सम्बन्धित पंजी जिसमें वर-वधू का नाम/पता/रजिस्ट्रेशन नंबर/बैंक/बैंक खाता संख्या/यू.टी.आर. नंबर एवं भुगतान की धनराशि व दिनांक अंकित हो।

(iv)सामूहिक विवाह आयोजन के न्यूनतम 20 फोटोग्राफ्स जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर पर आयोजन तिथि व स्थलवार रक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर उसे भी सॉफ्टकॉपी में सुरक्षित रखा जायेगा। यह फोटोग्राफ युगलों को उपलब्ध कराये जा रहे फोटोग्राफ्स के अतिरिक्त होंगे।

(v) सामूहिक विवाह में सम्मिलित युगलों का ऑनलाइन विवाह प्रमाण-पत्र जनरेट करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर उसे विवाहित युगल को उपलब्ध कराया

abhi

जायेगा तथा उसकी एक प्रति कार्यालय के अभिलेखों में रक्षित की जायेगी। विवाह प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर पूर्व से भी मुद्रित कराकर आवेदकों को दिया जा सकेगा।

(vi) योजनान्तर्गत रिकॉर्ड/अभिलेख 05 वर्षों तक सुरक्षित रखे जायेंगे।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी एवं संबंधित पंजिकाओं को अद्यतन संरक्षित करने तथा भुगतान के उपरान्त पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की सूची से भुगतान पंजी को अद्यतन करने, संबंधित डेटा को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखने तथा ऑडिट कराने का दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

(14)-योजना का प्रचार-प्रसार:-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिसमें आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के साथ-साथ पात्रता की शर्त, देय सहायता, आवेदन-पत्र भरने के समय आवश्यक प्रपत्रों आदि की विस्तृत जानकारी होगी। आवश्यकतानुसार होर्डिंग, पोस्टर, हैण्डबिल, पुस्तिका व एल.ई.डी. वैन आदि के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय योजना के प्रशासकीय व्यय मद की धनराशि से किया जाएगा।

(15)- सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में यथा संभव एक स्थल पर 200 से 250 युगलों का विवाह कराया जाये ताकि समारोह सुचारू पूर्वक एवं गरिमापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके। मा० मुख्यमंत्री/मा०उप मुख्यमंत्री व मा० समाज कल्याण मंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रतिभागी युगलों की संख्या जिलाधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है। आमन्त्रित जन-प्रतिनिधियों के यथोचित स्वागत सत्कार करने की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जायेगी। किसी समारोह में 100 या अधिक युगलों के प्रतिभाग करने पर जिलाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(16)- जिला समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त/खण्ड विकास अधिकारी एवं योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन करा दिया जाये तथा इस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। किसी भी तकनीकी समस्या का निराकरण, निदेशालय समाज कल्याण से समन्वय कर, कराना सुनिश्चित करेंगे।

(17)- मण्डल मुख्यालय के जनपदों में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मण्डलीय उप निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाएगा। मण्डल के अन्तर्गत आने वाले अन्य जनपदों में सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन में मण्डलीय उप निदेशक द्वारा अपने मण्डल के अन्य जनपदों में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को नामित किया जाएगा। नामित अधिकारी द्वारा आयोजन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट व आख्या निर्धारित प्रारूप पर उप निदेशक को उपलब्ध करायी जाएगी। उप निदेशक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

3- प्रश्नगत योजना के नियमों में यथावश्यक संशोधन करने की शक्ति मा० मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 23-05-2025
12:52:35

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव ।

abhi

पृ०सं०- /2025/1282(1)/ 26-3-2025-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।

2- प्रमुख सचिव, वित्त/श्रम/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।

3- निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।

4- निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र०।

8- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।

9- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०।

10-समस्त मुख्य कोषाधिकारी उ०प्र०।

11- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।

12-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) उ०प्र०।

13-निदेशक, एन०आई०सी०, उ०प्र०लखनऊ।

14-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

उप सचिव।

abhi